संख्या–4/1/2002टी.सी.–II–का–2/2012

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 30 जनवरी, 2013

विषय :– उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2012।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संलग्न "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2012" का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न अधिनियम के प्राविधान से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ प्राधिकारियों को भी अवगत करा दें, ताकि इस प्राविधान का सभी संगत् मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–4/1/2002टी.सी.–II(1)–का–2/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4) सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6) वेब मास्टर/ वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल. गुप्ता)
विशेष सचिव।

क्रम- संख्या —5

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एरा०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 4 जनवरी, 2013
पौष 14, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 5 / 79-वि—1—13-1(क)2-12
लखनऊ 4 जनवरी, 2013

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2012

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 7 मई, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनज़ातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

रिट याचिका संख्या 1389/2007 (प्रेम कुमार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के निर्णय के विरूद्ध दायर सिविल अपील संख्या-2608/2011 (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार व अन्य) तथा उक्त सिविल अपील के साथ सम्बद्ध सिविल अपील संख्या 2679/2011 (उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम प्रेम कुमार सिंह व अन्य) में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को दिये गये निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की धारा 3 की उपधारा (7) को अधिकारातीत (अल्ट्रा वाइरस) अभिनिर्धारित किया गया था, जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि, अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकारी आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हे उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) को निकाल दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 07 मई, 2012 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2012) प्रख्यापित किया गया।

तदनुसार उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 5 (2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)2-12

Dated Lucknow, January 4, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan-Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 31, 2012.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) (AMENDMENT) ACT, 2012

(U.P. ACT NO. 1 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 7, 2012.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1994

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (7) shall be *omitted*.

U.P. Ordinance no. 2 of 2012

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Civil Appeal no. 2608/2011 (Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. *Versus* Rajesh Kumar and Others) filed against the judgment of the High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench Lucknow in the Writ Petition no. 1389/2007 (Prem Kumar Singh and Others *Versus* Uttar Pradesh State and Others) and in the Civil Appeal no. 2679/2011 (Uttar Pradesh State and Others) *Versus* Prem Kumar Singh and Others) attached with the said civil appeal the Supreme Court had in the Judgment dated April 27, 2012 *inter alia* held ultra virus sub-section (7) of section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994) which provided that if, on the date of commencement of the Act, reservation was in force under Government Orders for appointment to posts to be filled by promotion, such Government Orders,

shall continue to be applicable till they are modified or revoked. With a view to implementing the said judgment of the Supreme Court it was decided to omit sub-section (7) of section 3 of the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Ordinance, 2012 (U.P. Ordinance no. 2 of 2012) was promulgated by the Governor on May 07, 2012.

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Bill, 2012 is introduced accordingly to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 709 राजपत्र (हि०)–2013–(3146) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 75 सा0 विधा0–2013–(3147)–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

D:\Vidhaika_2011\709_RPH_2013.doc_Data 2